न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं. / प्रार्थना पत्र / एल.आर. / 80 / 2023

1. ओमप्रकाश पुत्र गुदड़ जाति बैरवा
2. गिरधारीलाल पुत्र गुदड़ जाति बैरवा
3. गीता पुत्री उगमा जाति बैरवा
4. जड़ाव पत्नी गणेश जाति बैरवा
5. रतनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा
6. रामदेव पुत्र छोगा जाति बैरवा
7. सांवरलाल पुत्र गुदड़ जाति बैरवा समस्त निवासीगण ग्राम काचरियां ग्राम पंचायत नान्दसी तहसील भिनाय केकड़ी

प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

बनाम

1. कल्याण पुत्र सवाई जाति बैरवा
2. भैरू पुत्र चन्द्रा जाति बैरवा
3. रोडू पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा
4. जीवराज पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा समस्त निवासीगण ग्राम काचरिया ग्राम पंचायत नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. गणपत पुत्र भैरू जाति खाती निवासी काचरियां हाल निवासी रोड़वेज बसस्टेण्ड़ बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर
6. रामदेव पुत्र गणेश जाति जाट
7. सप्यार कंवर पुत्री धूलसिंह जाति राजपूत समस्त निवासीगण ग्राम काचरिया ग्राम पंचायत नान्दसी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांकः–31.01.2023

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– मौहम्मद युसुफ

2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 43 में दर्ज खसरा नं. 850 रकबा 0.26, खसरा नं. 866 रकबा 0.31, खसरा नं. 870 रकबा 0.05, खसरा नं. 884 रकबा 0.15 और खसरा नम्बर 887 रकबा 0.20 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.97 है0 तथा खाता सं0 37 में दर्ज खसरा नं. 863 रकबा 0.87, खसरा नं. 864 रकबा 0.62, खसरा नं. 865 रकबा 0.20 और खसरा नम्बर 901 रकबा 01.10 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.79 है0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 07 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 08 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं. 05, 06 एवं 07 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली में अप्रार्थी सं0 05, 06 एवं 07 के विरूध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 4 द्वारा पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रस्तुत की। पत्रावली में पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में राजहित प्रभावित ना होने की टिप्पणी अंकित की। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम काचरिया के खाता संख्या 43 तथा खाता संख्या 37 संवत 2074–2077(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा काचरिया पटवार क्षेत्र कनेईकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 43 में दर्ज खसरा नं. 850 रकबा 0.26, खसरा नं. 866 रकबा 0.31, खसरा नं. 870 रकबा 0.05, खसरा नं. 884 रकबा 0.15 और खसरा नम्बर 887 रकबा 0.20 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 0.97 हैं0 तथा खाता सं0 37 में दर्ज खसरा नं. 863 रकबा 0.87, खसरा नं. 864 रकबा 0.62, खसरा नं. 865 रकबा 0.20 और खसरा नम्बर 901 रकबा 01.10 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 2.79 हैं0** हेतू नायब तहसीलदार नागोला को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
भिनाय (केकड़ी)

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)